न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2025/140
दायरा तिथि : 07.04.2025
आदेश तिथि : 03-06-2026

प्रार्थी :–

जवानमल पुत्र नरींगराम जाति मेघवाल निवासी लुणावा तहसील बाली

ब ना म

अप्रार्थी :–

1. पवनीदेवी पत्नी नेकाराम जणवा चौधरी निवासी सोसायटी वास लुणावा तहसील बाली
2. जेठा पुत्र सखा सीरवी जणवा चौधरी निवासी लुहारों का वास लुणावा तहसील बाली
3. शांता बेन पत्नी दौलारामजी जाति मीणा निवासी आजाद बस्ती बाली जिला पाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक: 03-06-2026

प्रार्थी ने निर्धारित प्रारूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम लुणावा पटवार हल्का लुणावा तहसील बाली के खसरा नंबर 2277 रकबा 0.78 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की भूमि ग्राम लुणावा पटवार हल्का लुणावा तहसील बाली के खसरा नंबर 2276, 2273/2, 2275 रकबा 0.91 हैक्टर, 0.26 हैक्टर, 0.65 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा मे लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे निरीक्षक भू–अभिलेख बिसलपुर को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली ने जांच कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली ने अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2025/3656 दिनांक 26.12.2025 की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि आवेदक की खातेदारी भूमि में आवागमन के लिए राजस्व रेकर्ड में कोई रास्ता उपलब्ध नही है। उपरोक्त खसरा नम्बरान से ही आना–जाना करता था, जो मौके पर वर्तमान में खसरा न. 2276 में तारबंदी होने से बंद है।
2. यह है कि प्रस्तावित रास्ता किसी सडक या किसी कटान मार्ग से न्यूनतम दूरी का है। इससे कम दूरी का रास्ता मौके पर उपलब्ध नही है
3. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	2275	0.65	बारानी अव्वल	87X03=261 वर्गमीटर	शांतिबेन पत्नि दौलतराम जाति मीणा, सा बाली खातेदार
2	2273/2	0.26	बारानी अव्वल	55X03=165 वर्गमीटर	जेठा पुत्र सखा जाति सिरवी सा देह खातेदार
3	2276	0.91	बारानी अव्वल	142X03=426 वर्गमीटर	पवनी देवी पत्नि नेकाराम जाति जणवा सा देह खातेदार

4. यह कि प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर 3,42,000/– रूपये प्रति हैक्टर है।
5. यह है कि प्रस्तावित रास्ते हेतु उपयोग में आने वाले भू–भाग पर निर्माण कार्य, वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

प्रकरण में तहसीलदार बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात खसरा न. 2276 के खातेदार पवनी देवी में आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि लुणावा के खसरा न. 2238, 2277 व

पेज लगातार..........02

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2025/140
अनवान जवानमल वगैरा बनाम पवनीदेवी वगैरा
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

2278 है, जो एक चक में है प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि खसरा न. 2277 में जाने के लिए खसरा न. 2237 रास्ता उपलब्ध है जिस रास्ते से होकर प्रार्थीगण अपनी भूमि खसरा न 2238व 2278 में आना जाना पीढीयो से करते आ रहे है। प्रार्थीगण ने रास्ता उपलब्ध होत हुए मात्र अपनी भूमि की किमतें बढाने के इरादे से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जिससे प्रार्थीगण द्वारा उपलब्ध रास्ते का आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी पवनी देवी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियो का जवाब प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि 2238,2277,2278 सुगठित(एक साथ) स्थित न होकर दो अलग-अलग भागो में विभाजित है जिसमें खसरा न. 2238 के पडौस में गेर मुमकिन नाला स्थित है तथा शेष खसरा न. 2277,2278 दोनो खसरे एक दुसरे से लगते हुए स्थित है परन्तु खसरा 2278 के पडौस में भी खसरा न 2265 में भी गैर मुमकिन नाला की भूमि स्थित है जो प्रतिबंधीत भूमि होने से रास्ता दिया जाना भी गैर कानूनी है तथा वो रास्ता आगे किसी रास्ते से भी नही जुडता है तथा साथ ही गैर मुमकिन नाला में भी चार से पाच माह तक पानी का बहाव रहता है जिससे आवागमन भी संभव नही है इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया गया।

तहसीलदार बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि प्रार्थीगण की धारित भूमि खसरा न. 2238 के दोनो ओर पडौस में स्थित ख न. 2237,2265 गैर मुमकिन नाले की प्रतिबंधित भूमिया स्थित है तथा 2277 व 2278 के पडौस में कोई रास्ता मोजुद नही है जिससे तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू अभिलेख सेवाडी ने मौका जांच के पश्चात प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा न. 2277 में आवागमन के लिए खसरा न. 2276,2275 व 2274/2 की भूमियो में से रास्ता प्रस्तावित किया है प्रस्तावित रास्ते में आने वाने खसरा न. 2275 व 2274/2 के खातेदारान के द्वारा किसी प्रकार की आपति नही की गई है मात्र 2276 के खातेदार पवनी देवी द्वारा ही आपत्ति पेश कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने की दलील दी गई है परन्तु वर्णित आपत्ति निराधार होने से खारिज की जाती है । धारा 251 ए के अनुसार न्यूनतम दूरी से रास्ता उपलब्ध कराये जाने के प्रावधान है जो प्रस्तुत रिपोर्ट भी वर्णित प्रावधानो के अनुसार ही प्रस्तुत होने से तहसीलदार बाली के पत्रांक राजस्व/2025/1208 दिनांक 16.5.2025 से प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण को नया रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायसंगत है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम लुणावा पटवार हल्का लुणावा तहसील बाली के खसरा नंबर 2277,2278 रकबा 1.29 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम लुणावा पटवार हल्का लुणावा तहसील बाली के खसरा नंबर 2276 ,2275 व 2274/2 में से **नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि जमा कराये जाने की सुनिश्चिता करे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 3,42,000/-रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
2275	0.65	87X03=261 वर्गमीटर	35	9135X2=18270	**शांति देवी पत्नी दोलतराम जाति मीणा निवासी बाली खातेदार**
2273/2	0.26	55X03=165 वर्गमीटर	35	5775 X2=11550	जेठा पुत्र सखा जाति सिरवी सा देह खातेदार
2276	0.91	142X03=426 वर्गमीटर	35	14910 X2=29820	पवनी देवी पत्नि नेकाराम जाति जणवा सा देह खातेदार

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार..........03

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2025/140

अनवान जवानमल वगैरा बनाम पवनीदेवी वगैरा

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 59,640/– (अक्षरे उन्सठ हजार छः सौ चालीस रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि अप्रार्थीगण प्रभावित भूमि के खातेदारान को अदा की जायेगी, प्रभावित खातेदारान द्वारा राशि नही दिये जाने पर तहसीलदार बाली बतौर प्रतिभूति राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करेगें तहसीलदार बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(वि[illegible] बिश्नोई)

सहायक कलक्टर एवं पदेन

उपखण्ड अधिकारी, बाली

उपखण्ड अधिकारी
बाली

क्रमॉक/कोर्ट/2026/ 894 — 899

दिनाक : 04-6-2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1. तहसीलदार, बाली निजी खातेदार को देय प्रतिकर राशि अमानत मद तथा राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि संबंधित मद में जमा की सुनिश्चितता करें।
2. निरीक्षक भू0अ0 सेवाडी
3. पटवारी हल्का, लुणावा
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक जवानमल पुत्र नरींगराम जाति मेघवाल निवासी लुणावा तहसील बाली वगेरा को सूचनार्थ।

सहायक कलक्टर एवं पदेन

उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला-पाली (राज.) ★

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 25/04/2025 06:18:12 AM

तहसील : बाली

भू. अ. नि. क्षेत्र : सेवाडी

ग्राम : लुणावा

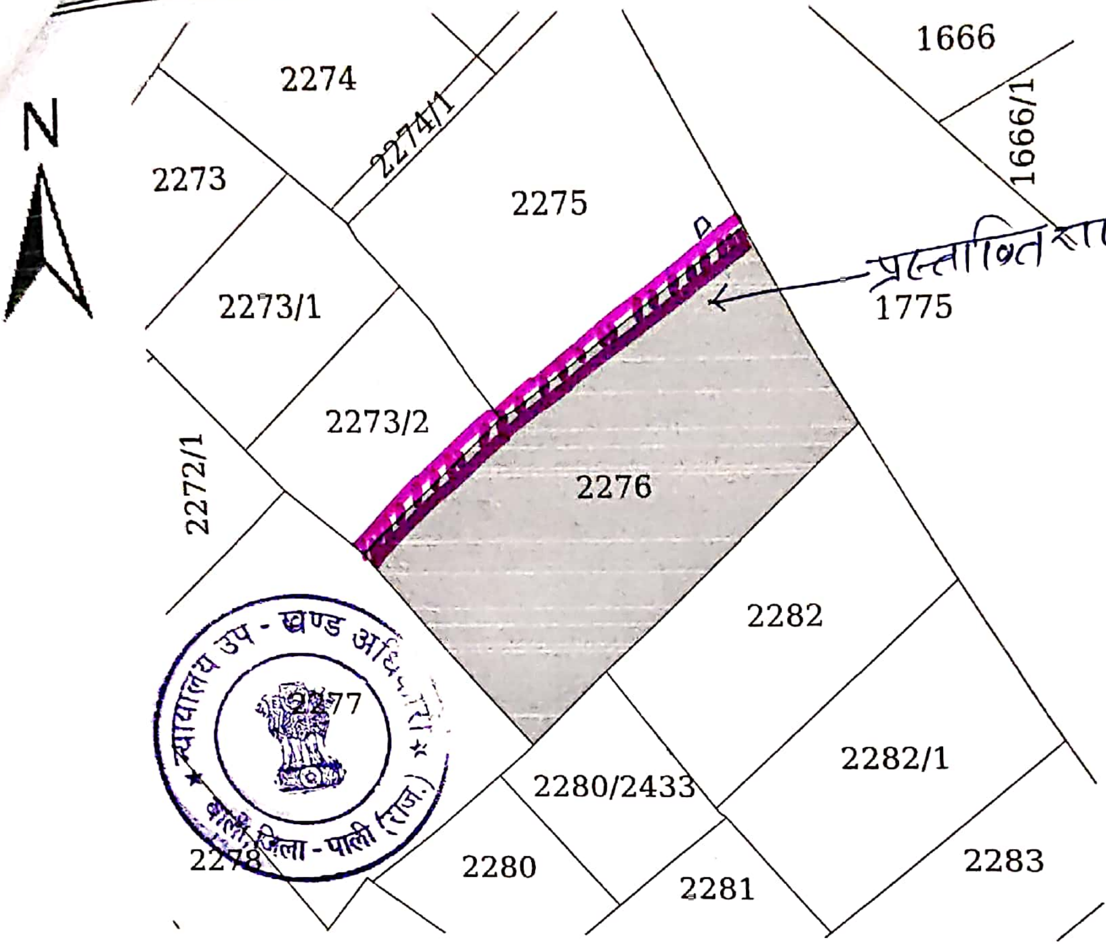

Scale 1:2000

खसरा संख्या :2276 क्षेत्रफल : 0.9100 Hectare खाता संख्या : 130पुराना खाता संख्या :116

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बारानी अव्वल [0.9100, 6.37]

1.) पवनी देवी पत्नि नेकराम जी हिस्सा- पूर्ण जाति- जणवा मकान संख्या- 0, कॉलोनी- सोसायटी वास लुणावा , क्षेत्र/स्थान- लुणावा , शहर- लुणावा , पिन कोड- 306706, ज़िला - PALI,राज्य- RAJASTHAN खातेदार

ILR-सेवाडी

तहसीलदार,बाली

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

नोट: १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें।

Scanned with OKEN Scanner